KHR 221/18/1226 रंगलाल बनाम अ...

| तारीख पेशी | बनाम<br>18/00221<br>हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर<br>श्री पुष्कर नारायण बैरवा श्री अजीतसिंह | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|

22.10.18

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 05 उपस्थित। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने दिनांक 14.09.2018 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. पेश किया, जिस सुनवाई की जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट के निवेदन पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. पर बहस सुनी गई।

अभिभाषक रेस्पोडेन्टस (प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्ता) ने दौराने निवेदन किया कि वर्तमान अपीलांअस द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2018 के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की हैं जो प्रथम दृष्टया अंतरिम आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत होने से संधारण योग्य नही हैं लेकिन उक्त महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को न्यायालय के समक्ष अप्रकट रखते हुए अपील प्रस्तुत कर दी जिसमें न्यायालय ने दिनांक 06.08.2018 को विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके यथास्थिति बनाये रखने एवं बेचान नहीं करने हेतु रिकार्डेड खातेदार यथा रेस्पोडेन्टस को पाबंद फरमा दिया। अपीलकृत आराजीयात खसरा नम्बर 790 व 791 वर्तमान रेस्पोडेन्टस के पूर्वज हजारी पुत्र सुगरिया जातिं चमार की आवंटनशुदा आराजीयात है जो दिनांक 09.04.1975 को कैम्प लसाड़िया में हजारी को साबिक खसरा नम्बर 193/10/1 रकबा 10–0–0 बीघा आवंटन की जाकर कब्जा व दखल सौंपा गया एवं नामान्तकरण तस्दीक कर अधिकार अभिलेख में इन्द्राज दर्ज कर दिये गये जिससे उक्त भूमि रेस्पोडेन्टस के पूर्वज हजारी की आवंटनशुदा स्वःपैदाकर्ता तन्हा खातेदारी एवं तन्हा काश्तकारी की आराजीयात हैं जिसमें वर्तमान अपीलांटस अथवा इनके पूर्वजो का किसी भी प्रकार का हक, अधिकार एवं स्वत्व निहित नहीं है जिससे उक्त भूमि बाबत् वर्तमान अपीलांटस किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्ति के कानूनन अधिकारी नही हैं। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त वर्तमान रेस्पोडेन्टस के हक में स्वंय सिद्ध हैं। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिनांक 06.08.2018 को निरस्त फरमायां जावें।

अभिभाषक अपीलांटन ने दौराने जवाब बहस में निवेदन किया कि दिनाक 22.07.2018 को पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी से उपखण्ड अधिकारी नदबई हो गया था जिससे उनको प्रकरण में सुनवाई का क्षैत्राधिकार नही था फिर भी उपखण्ड अधिकारी ने वादीगण/अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत जाकर स्थगन आदेश स्थगित करने का आदेश पारित कर दिया। विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा मौखिक बंटवारे में वादीगण के कब्जेकाश्त आई हुई है और आज दिनांक तक भी कब्जेकाश्त है जिसका आज दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं हुआ है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीया को स्थगन आदेश से मुक्त कर दिया इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर इस प्रकार आदेश पारित किये हैं जो विधि सम्मत नही हैं। न्यायालय हाजा द्वारा विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति एवं विवादित आराजी को बेचान नहीं करने हेतु रेस्पोडेन्टस को पाबंद किया हैं। उक्त स्थगन आदेश से रेस्पोडेन्टस को किसी प्रकार प्रथम दृष्टया कोई क्षति प्रतीत नही होती हैं। न्यायालय

लगातार

| तारीख पेशी | बनाम<br>हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर<br>श्री ..... श्री ..... | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए |
|---|---|---|

लगातार

हाजा का आदेश विधि सम्मत है इसलिए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें तथा शेष रेस्पोडेन्ट को तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जावें।

अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 जा.दी. व प्रस्तुत दस्तावेजता का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.07.2018 को किया गया हैं जबकि पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण दिनांक 22.07.2018 को हो चुका था फिर भी पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रतिवादी/अप्रार्थीगण ने जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया जिस पर पूर्व में पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 06.02.2018 द्वारा विवादित आराजी का आगामी पेशी तक बेचान, रहन, वक्शीश एवं अन्य किसी प्रकार से अन्तरण नहीं करने के आदेश में से खसरा नम्बर 790, 791 को स्थगित कर दिया गया। उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी के पूर्व स्थगन आदेश दिनांक 06.02.2018 को विवादित आराजी वाद के विचाराधीन रहते किसी प्रकार वाद की बाहुल्यता नहीं हो इसलिए विवादित को बेंचान नहीं करने के आदेश दिये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारा का वाद विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम वास्ते जवाब सरकार व काउन्टर क्लेम के जवाब हेतु नियत हैं। अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होने के पश्चात उक्त आदेश पारित किये है एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र वास्ते जवाब सरकार व जवाब काउन्टर क्लेम में विचाराधीन रहते जो आदेश दिये हैं वो विधि सम्मत नहीं हैं। चुँकि उक्त अपील अन्तरिम स्थगन आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है जो पोषणीय नही हैं किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25.07.2018 के आदेश से यदि विवादित आराजी का बेंचान हो जाता है या रहन, मुन्तकिल हो जाती हैं तो वाद की बाहुल्यता बढ़ेगी इसलिए हम प्रंकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण इस आदेश से 30 दिवस में करें।

**अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकड़ी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2018 को निरस्त किया जाता हैं तथा दिनांक 06.02.2018 को यथावत् रखा जाता हैं एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के तीन प्रमुख बिन्दुओ क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति का विवेचन करते हुए इस न्यायालय के आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।**

22/X/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर